पत्रांक-15/सी 2-202/14.-669

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

प्रेषक:

एस० एम० करीम
निदेशक, उच्च शिक्षा

सेवा में,

कुलसचिव
वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय,
आरा

फैक्स एवं विशेष वाहक के माध्यम से

पटना, दिनांक 26/3/2015

विषय:-- **एम0जे0सी0 संख्या-........./2014 महेश पंडित बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि विषयाधीन मामले में विभागीय पत्रांक 47 दिनांक 13.01.2015 के द्वारा आवश्यक कागजात तथा सूचनाओं की मांग की गयी है, परन्तु वांछित सूचना आपके विश्वविद्यालय से अभी तक अप्राप्त है ।

2. चूँकि विषयाधीन मामला अवमाननावाद से संबंधित है । अत: मामले की संवेदनशीलता एवं गंभीरता के मद्देनजर इससे संबंधित निर्गत विभागीय पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि दिनांक 27.03.2015 को 3.00 बजे अपराह्न में निदेशक, उच्च शिक्षा के कार्यालय कक्ष में उपर्युक्त विभागीय पत्र के द्वारा मांगी गयी सूचनाओं तथा संबंधित कागजात के साथ उपस्थित होकर बैठक में भाग लेने की कृपा करें ।

विश्वासभाजन,

Karim 25/03/15

(एस० एम० करीम)
निदेशक, उच्च शिक्षा

पत्रांक 15/सी 2–202/2014–47

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।

पटना, दिनांक 13/01/2015

विषयः– एम0जे0सी0 संख्या ……………………/2014 महेश पंडित बनाम राज्य सरकार एवं अन्य।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित अवमाननावाद वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा से संबंधित है। वादी द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 15268/2010 में दिनांक 15.04.2014 को पारित न्यायादेश के अनुपालन नहीं किए से उद्भूत है। प्रासंगिक मामले में वादी द्वारा 20.12.2000 के प्रभाव से सेवा सामंजन का दावा किया गया है। अंकनीय है कि विद्वान महाधिवक्ता बिहार के परामर्श के आलोक में इस प्रकार के नियमितीकरण के मामलों में वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय सहीत राज्य के अन्य सभी विश्वविद्यालयों को विभागीय पत्रांक 1820 दिनांक 17.11.98 निर्गत किया गया है, परंतु विभाग में विषयाधीन मामले में उक्त विभागीय पत्र के आधार पर वांछित सूचना अप्राप्त है।

2. वर्णित तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत मामले में निम्नांकित बिन्दुओं पर तथ्यपरक प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(1) वादी के सेवा नियमितीकरण संबंधी आदेश की प्रति।

(2) वादी की सेवा किस परिस्थिति में नियमित की गई।

(3) माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 15268/2010 में दिनांक 15.04.2014 को पारित न्यायादेश के आलोक में विश्वविद्यालय स्तर द्वारा कृत कार्रवाई संबंधी अभिलेख/संचिका की अभिप्रमाणित छाया प्रति।

3. उपर्युक्त सूचना सन्दर्भित याचिका के आधार पर पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर विशेष वाहक के माध्यम से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव